प्रमोद पटेल

92½/150 ≈ 92/150

1909 का अधिनियम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के कारण साम्प्रदायिकता का जनक कहा जाता है
- इससे सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार मिला — नहीं मिला
- सत्येन्द्र सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सिर्फ अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया।

भारत परिषद मे दो भारतीय शामिल

(1) B - पं॰ जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा। — जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया
- यही बाद मे संविधान की प्रस्तावना का मूल बनी।
- प्रस्ताव मे "भारतीयो के सपनो" का भारत कैसा हो दिखाई पड़ता है। 'समस्त शक्ति का मूल स्रोत जनता है'

(2) C - ऐसी व्यवस्था जिसमें विधियो को बनाने का पूर्ण प्राधिकार संसद का होता है। निर्वाचित सदस्यो द्वारा
- संसद मे वास्तव मे जनता के प्रतिनिधी होते हैं
- ब्रिटेन व्यवस्था को जनक कहा कहलाती है।
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिपरिषद मे निहित होती

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:01

- [illegible] का अधिनियम मुस्लिम वर्ग के पृथक निर्वाचन के कारण साम्प्रदायिकता का जनक कहलाता है
- इसमें सदस्यो का बजट पर वोटिंग का अधिकार मिला
- सत्येन्द्र सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी के प्रथम भारतीय सदस्य बने।

3
- पं० जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा।
- यही बाद मे संविधान की प्रस्तावना की मूलतत्व
- प्रस्ताव मे भारतीयो के सपनो का भारत कैसा हो दिखाई पड़ता है।

8
- ऐसी व्यवस्था जिसमें विधियो को बनाने का पूर्ण प्राधिकार संसद को होता है।
- संसद मे वास्तव मे जनता के प्रतिनिधी होते है
- ब्रिट्रेन व्यवस्था की जन्मदाता कहलाती है।

... प्रथम माह पत्र होता है।

E - राज्यो के बीच सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए क्षेत्रीय या आँचलिक का गठन किया।
- इनकी संख्या 5 है। 1971 मे पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया है।
- मध्यप्रदेश मध्य आंचलिक परिषद मे छत्तीसगढ़ उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड के साथ है।
यह सलाहकारी फोरम के रूप मे कार्य करती है।
यह राज्य पुनर्गठन अधि. 1956 द्वारा गठित कीगई है संविधान मे इसका कहीं उल्लेख नहीं है।

F अनुच्छेद -13 मौलिक अधिकारो से असंगत विधियां और उनके अल्पीकरण का प्रावधान करता है।
विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जहां वे भाग-3 के उपबन्धो से असंगत है।
- यह न्यायल को न्यायिक पुर्नाविलोकन की शक्ति प्रदान करता है।

2020-8-19 18:01

[illegible]

... [illegible] को ... [illegible] ...
कोई ... [illegible] ...
... को ... में लिया जाए।
राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर।

I B

मंत्रीपरिषद में यहा तीनो श्रेणिया - कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री होते है, मंत्रीमण्डल मे केवल कैबिनेट मंत्री होते है।
मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, मंत्रीमण्डल राजनैतिक निर्णय लेती है।

I

→ 1988 मे गठित

- पी० के० थुंगन समिति पंचायती राज्य पर विचारो के लिए गठित।
- इसने पंचायतो को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।
- 1989 मे गठित।

पंचायतो का ... [illegible] ... चाहिए ... [illegible] ... दो नही

[illegible] राज्यपाल [illegible] केवल [illegible] कार्यकाल के अपने [illegible] के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं [illegible]। कार्यकाल के दौरान कोई भी दाण्डिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी।

1 K

प्रतिस्पर्धा अधिनियम-2002 के तहत गठित प्रतिस्पर्धा आयोग 6 सदस्यों व एक अध्यक्ष से मिलकर बनता है

कार्य - उपभोक्ता हितों का संरक्षण।

- बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकना।

1 L

- अनु. 266 अनुसार सरकार का सारा धन (कर राजस्व तथा ऋण, उधार) संचित निधि में होता है।

- विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान द्वारा ही निकासी।

- इस पर भारित वेतन, भत्ते भारित व्यय पर मतदान नहीं होता है।

2020-8-19 18:

[illegible] उत्तर लिखो

(1)

[illegible]

... लोकसभा चुनाव [illegible] ... कम से कम चार राज्यों में राज्यस्तरीय दल [illegible]
2.0 भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी

8 राष्ट्रीय स्तर दल है।

1 N

जनवरी 2019 में पारित 103वाँ संविधान संशोधन विधेयक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करता है।

1 0

अनु० 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति न होने पर न्यायधीश की योग्यता रखने रखने वाले न्यायधीश की नियुक्ति की जाती है।
तदर्थ न्यायधीश वे सभी अधिकार रखते जो न्यायधीशों को प्राप्त है।

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19 18:0

भारतीय राष्ट्रपति को आपातकाल मे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की गई।
आपात काल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जिसके निम्न तीन आधार अनुच्छेद 352 मे वर्णित है :-

(i) किसी राष्ट्र से युद्ध

(ii) कोई बाह्य आक्रमण

(iii) देश मे अन्दर आन्तरिक अशांति

आन्तरिक अशांति के आधार का दुरुपयोग बार-बार न हो सके इसे ध्यान मे रखकर मोरारजी देसाई सरकार ने 44 वे संशोधन द्वारा आन्तरिक अशांति के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द कर दिया।
राष्ट्रीय आपात एक आकस्मिक विपत्ति

5/2

आकार IAS
160/4, A.B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

आकार
1604, A B Road, Pipliya Rau, Near Vishnupuri I Bus Stop, Indore (MP)

को सूचक है न कि राजनैतिक लाभ लेने का। अतः इसके आधार तथ्यपरक होना आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा

म.प्र. लोक सेवा आयोग

प्रश्न संख्या: 2 8

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अनुसार एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो सार्वजनिक धन का प्रमुख संरक्षक माना जाता है।

कार्य व शक्तियाँ

(i) कैग भारत की संचित निधी प्रत्येक राज्य, केन्द्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा है संबंधी खर्चों के परीक्षण की शक्ति रखता है।

(ii) आकस्मिक निधी और लोक निधी के खर्चों का परीक्षण।

(iii) सभी लेखा कैग द्वारा निर्धारित प्रारूप में होते हैं।

(iv) कैग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय की कार्यवाही की जा सकती है।

कर्तव्य: (i) लोक निधी का ऑडिट।

(ii) भ्रष्टाचार को उजागर करना।

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675601

मुख्य परीक्षा
म.प्र. लोक सेवा आयोग

निष्कर्षतः कैग के कार्यक्षेत्र की वृद्धि कर लोक व्यय की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा राजनीतिक दल परिवर्तन संबंधी शर्तें निर्धारित की गई।

विशेषताएँ:

(i) यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे तो वह अपनी सदन सदस्यता खो देता है।

(ii) राजनीतिक दल के विपरीत मत देने पर भी निरर्हता लागू होती है।

(iii) कोई निर्दलीय सदस्य राजनीतिक दल की सदस्यता लेने पर निरर्ह होगा।

(iv) 1/3 सदस्य दल से बाहर गठन कर ले तो सदस्यता बरकरार रहती है।

(v) यदि कोई पीठासीन अधिकारी स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दे तब भी सदस्यता बरकरार

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

आकार
Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
askarias2014@gmail.com

इस प्रकार यह अधिनियम विधायकों व सांसदों की खरीद फरोख्त रोकने तथा निर्दलीयों के विचारधारा से जुड़ने संबंधी सभी प्रावधानों को स्पष्ट करता है।

लोकलेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है इसे आकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है।

22 सदस्य
15 लोकसभा।
7 राज्यसभा।

लोकलेखा समिति की भूमिका :

(i) यह कैग की रिपोर्टों पर विचार कर उसकी जाँच करती है।

(ii) लोकलेखा समिति लोक निधि के संरक्षक की भूमिका निभाती है।

(iii) यह सरकार को संसद के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाती है।

(iv) इसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है जिससे सरकारी खर्चों पर इसकी तीखी नजर होती है।

(v) इसमें राज्यसभा से 7 तथा लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं जिससे दोनों सदनों को प्रतिनिधित्व करती है।

आकार IAS
160/4, A B Road, Piplliya Rau, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला, 2जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटालों को उजागर कर अपनी भूमिका स्वयं सिद्ध की है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए निम्न एकात्मक लक्षण दिखाई देते हैं:

- एकीकृत न्याय व्यवस्था
- एकल नागरिकता
- समवर्ती सूची मे केन्द्र सशक्त
- अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास
- संघ व राज्य का संयुक्त संविधान
- राज्यो के सीमा व पुर्नगठन केन्द्र के पास
- राज्य मे राज्यपालो की नियुक्ति
- राष्ट्रपति शासन मे केन्द्र की शक्ति का विस्तार

[illegible] परीक्षा

[illegible]

[illegible] न्यायपालिका [illegible] के माध्यम से [illegible] संविधान को रक्षा करता है।

[illegible] के तहत [illegible] कीजिए

न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व

(i) संविधान के संरक्षण में।

(ii) मूल अधिकारो के उल्लंघन क्रियान्वयन में।

(iii) न्यायालय के स्वयं के निर्णयो की समीक्षा में।

(iv) सरकार की निरंकुशता को रोकने मे

(v) कानूनो की उचित व्याख्या करने तथा उन्हे अमान्य घोषित करने मे।

(vi)

[illegible] पाए [illegible]
[illegible] समाज में उन्हें दिया गया। जिससे
[illegible] आदि के [illegible] हो सके।

संवैधानिक प्रावधान :

→ (i) भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता का विचार।

→ (ii) अनु. 15(1) अनुसार :
मौलिक अधिकारों में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के नाम पर भेद का निषेध।

→ (iii) महिलाओं व बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है (अनु. 15(3))

→ (iv) अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान (16(4))

(v) नीति निदेशक तत्वों में समान कार्य के लिए पुरुष एवं महिलाओं को समान वेतन

→ (vi) बालकों की सुकुमार अवस्था की देखरेख

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

... द्वारा 1992 में हुआ।

संरचना

→ महिला आयोग एक बहुसदस्यी निकाय है।

1 अध्यक्ष — रेखा शर्मा

5 सदस्य (एक अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित)

– प्रशासनिक कार्य के लिए एक सचिव होता है।

कार्य व शक्तियाँ

→ (i) महिलाओं संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा तथा संशोधन हेतु सुझाव देना।

→ (ii) यौन उत्पीड़न संबंधी जाँच तथा संबंधित अधिकारी को सूचित करना।

→ (iii) महिलाओं के हितों की रक्षा करना।

→ (iv) आयोग सिविल न्याय की शक्ति रखता है, किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है।

लोकतंत्र के [illegible] में [illegible]
नागरिकों की भूमिका [illegible] है।
अतः प्रशासन एवं प्रशासनिक के संचालन
मे जनता की भागीदारी जनभागीदारी
कहलाती है।

सुशासन की स्थापना मे भी जनभागीदारी
एक अहम स्तम्भ है।

सीमाएँ

(i) प्रशासनको तथा जनता के मध्य उचित संवाद मंचो की कमी।

(ii) तकनीकी ज्ञान की कमी।

(iii) हमारी प्रशासनिक कार्यपद्धति की द्रणता।

(iv) जनभागीदारी मे नागरिको की रूची नहोना।

(v) अशिक्षा व जागरूकता का अभाव

अतः इन सीमाओ को दूर प्रशासनिक कार्यकुशलता सुनिश्चित की जा सकती है।

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

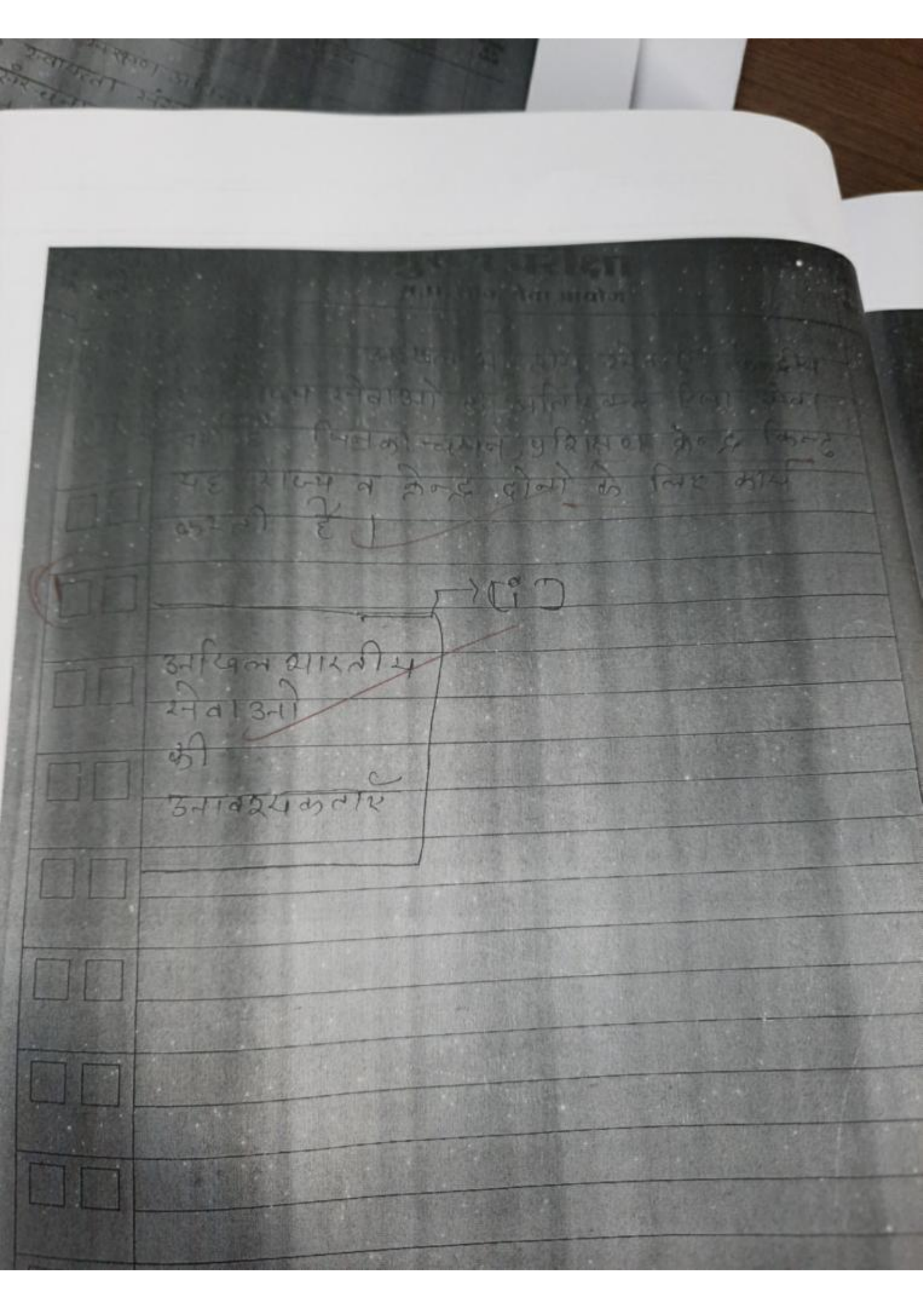

[illegible] सेवा आयोग

[illegible] दीय

[illegible]य सेवाओं के अतिरिक्त [illegible]

[illegible] भिन्न की समान प्रशिक्षण केन्द्र किन्तु

यह राज्य व केन्द्र दोनों के लिए कार्य

करती है।

(i)

अखिल भारतीय
सेवाओं
की
आवश्यकताएं

भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण है जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार अनु 19 से 22 तक प्रावधान किये है।

ये अधिकार व्यक्ति की अभिव्यक्ति तथा गरिमा को सुनिश्चित करते है।

स्वतंत्रता के अधिकार

- अनु 19 – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनु 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध मे संरक्षण।
- अनु 21 – प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनु 21(क) प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार (86वाँ संविधान संशोधन) 2002
- अनु 22 कुछ दशाओं मे गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

(1) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :

इस खण्ड मे 6 स्वतंत्रताएं वर्णित है

19(1)(क) – भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं

19(1)(ख) शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

[illegible]

19(1)(द) — भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध्य संचरण का अधिकार।

19(1)(ङ) — भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने का अधिकार।

19(1)(छ) — कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार।

19(1)(च) मे वर्णित सम्पत्ति के अधिकार को 44वे संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया।

(2) अपराधो के लिए दोषसिद्दी के संबंध मे संरक्षण :
राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दण्डित न कर सके।

(i) 20(1) भूतलक्षी दाण्डिक विधियो का संरक्षण।
(ii) 20(2) दोहरे दण्ड से संरक्षण
(iii) 20(3) अपने ही विरुद्द गवाही देने से संरक्षण

(3) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता :- किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।
न्यायालय द्वारा इसमे गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार इत्यादि को भी समय समय पर शामिल किया है।

(4) शिक्षा का अधिकार :- 86 वे संविधान संशोधन अधि० 2002 मे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चो को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

(5) मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण :-
(i) गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार।
(ii) अपनी रुचि के वकील से मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार।
(iii) 24 घण्टो के अन्दर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुती का अधिकार।

इस प्रकार स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की मूल भावना मे

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

[illegible] है। न्यायालय ने [illegible]
पर इसका विस्तार किया है। अतः
व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही लोकतंत्रात्मक
व्यवस्था का मूल है।

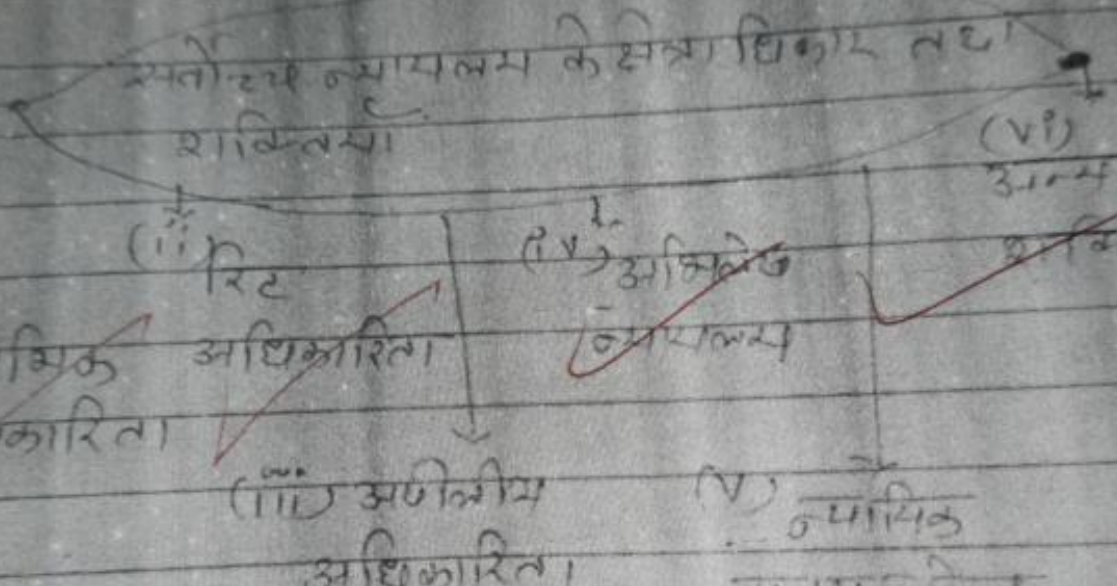

भारतीय [illegible] [illegible] है जो कि [illegible]
को कोर्ट [illegible] परिसंघीय न्यायालय,
मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का
अन्तिम व्याख्याकार है, ब्रिटेन के समान
सिविल व अपराधिक मामलो के अपील
की अन्तिम न्यायालय है।

सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ

- (i) आंरभिक अधिकारिता।
- (ii) रिट अधिकारिता।
- (iii) अपीलीय अधिकारिता।
- (iv) अभिलेख न्यायालय
- (v) न्यायिक पुनरावलोकन
- (vi) अन्य शक्तियाँ

(i) आंरभिक अधिकारिता — ऐसे मामले जिनकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय मे हो सकती है। जिनका उल्लेख ~~[illegible]~~ अनु 131 मे है।

ऐसे विषय है :-

(i) भारत सरकार बनाम अन्य राज्य सरकार
(ii) दो या अधिक राज्यो के बीच

भारत [illegible] अन्य
[illegible]

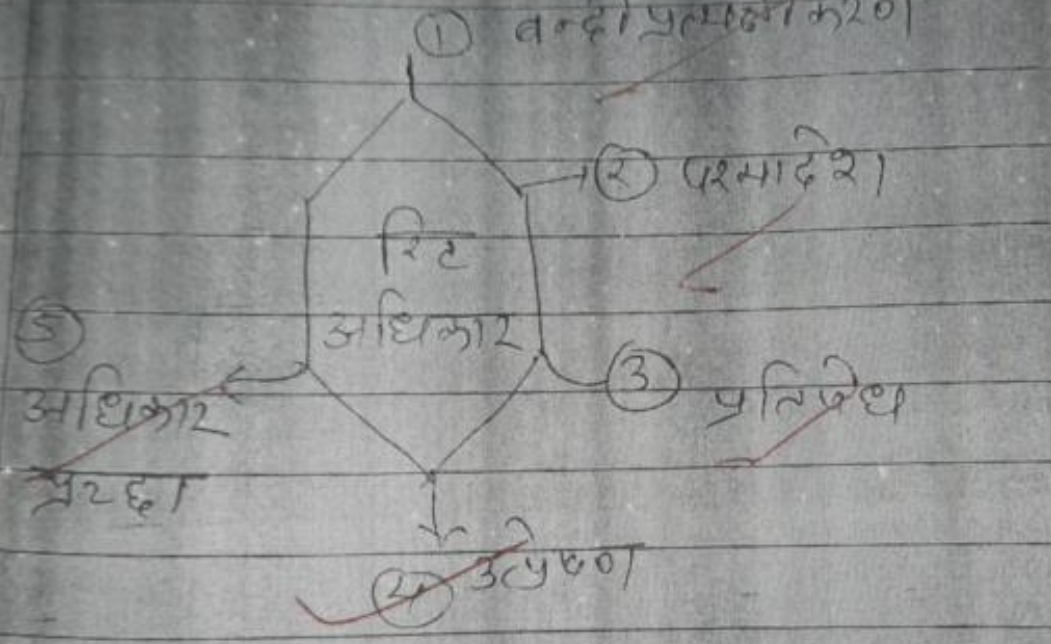

(2) रिट अधिकारिता :- मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनु. 32 अनुसार रिट जारी कर सकता है।

(3) अपीलीय अधिकारिता :- सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा अपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अन्तिम न्यायालय है।

(4) सलाहकारी अधिकारिता :- राष्ट्रपति अनु. 143 अनुसार विधी या तथ्य को प्रश्न उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय को निर्देशित

करने ... किसी ऐसी संस्था की ... आवश्यकता नहीं है।
... को ...

(5) अभिलेख न्यायालय : अनु. 129 अनुसार न्यायालय के सभी निर्णय आदेश, निर्देश स्थायी स्मृति में सुरक्षित रखे जाते है ताकि सभी अधीनस्थ न्यायालय उन्हे अपने उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके।

(6) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति : 137 के तहत इसके अन्तर्गत न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या कार्यपालिका आदेशों का संवैधानिक ढांचे के अनुरूप परीक्षण कर उसे शून्य घोषित कर सकती है। साथ ही वह स्वयं के निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है।

(7) अन्य शक्तियां – उच्च न्यायालयों का स्थानांतरण, स्वयं के नियम व नियुक्तियां, जनहित याचिका सुनना आदि

इस प्रकार उच्चतम न्यायालय एक परिसंघीय न्यायालय है जो न्यायव्यवस्था का केन्द्रबिन्दु है। यह पूर्णतः स्वतंत्र स्वतन्त्र।

2020-8-19 18

का परिचायक है। तथा इसके आदेश तथा निर्णय सम्पूर्ण भारत राज्य क्षेत्र मे अबाध्य रूप से लागू होते है।

[illegible] लोक सेवाओं में
[illegible] कार्य
[illegible]
की सिफारिश में लोक सेवा आयोग [illegible]
के [illegible] संविधान के
अनु. [illegible] में है।
इस प्रकार यह एक संवैधानिक संस्था है

संरचना:
(i) इसका एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य
है। सदस्य निर्धारण की संख्या
कार्य राष्ट्रपति करता है।
(ii) आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार
या राज्य सरकार के अधीन कम से
कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव
हो।
(iii) अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित
करने की शक्ति राष्ट्रपति को है।
(iv) पद अवधि -
6 वर्ष या 65 वर्ष आयु
जो भी पहले हो।
(v) दुर्व्यवहार एवं कदाचार के आधार
पर पदच्युत के लिए उच्चतम न्यायालय
की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हटा सकता है।

आकार IAS
160/4, A B Road, Pipliya Rao, Near Vishnupuri I-Bus Stop, Indore (MP)
aakarias2014@gmail.com
www.aakarias.com
9713300123, 8770675662

2020-8-19

संघ लोक सेवा आयोग भूमिकाएँ :- अनुच्छेद के अनुसार

(i) संघ के लिए नियुक्तियो के लिए परीक्षाओ का आयोजन करना।

(ii) यदि एक या अधिक राज्य भर्ती के लिए आग्रह करने पर उनकी सहायता करना।

(iii) ~~सरकार~~ संघ सरकार को निम्न मामलो मे सलाह देना

(a) असैनिक सेवाओ मे बहाली के तरीके से संविधित मामले।

(b) तरक्की व बदली मे।

(c) सरकारी अधिकारियो के अनुशासन संबंधी।

(d) सरकारी कर्मचारी को किसी कर्तव्य मे क्षति पहुँची उसके संबंध मे।

(e) राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट

संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग अपने कार्य को सफलता पूर्वक अपने कार्य निर्वहन करता है किन्तु कुछ मामलों में इसकी आलोचना चर्चा में रही।

(i) परीक्षा पैटर्न को लेकर हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ पक्षपात का आरोप है।

(ii) सिविल सेवकों का भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाना प्रश्न चिन्ह खड़े करता है।

(iii) परीक्षा पेपर में हिन्दी के अनुवाद को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं।

(iv)

निष्कर्षत: कहा जा सकता है संघ लोक सेवा एक उत्कृष्ट नियुक्ति प्रक्रिया का संचालन करने वाला देश का सर्वोच्च निकाय है। स्वतंत्रता पश्चात नौकरशाही को कुशल व नवीनतम विचारों

2020-8-19 18:

के साथ जोड़ने का कार्य किया है।